

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.16(3)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 12.01.2018


आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सेवारत चिकित्सक दिनांक 18.09.2017, दिनांक 06.11.2017 से 12.11.2017, दिनांक 08.12.2017 एवं 16.12.2017 से 27.12.2017 तक की अवधि में सामूहिक अवकाश/हडताल के दौरान अनुपस्थित रहे चिकित्सकों को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर उपार्जित अवकाश में समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. क्रमांक 101800021 दिनांक 11.01.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


साथ ही जिन चिकित्सकों के पास उपार्जित अवकाश उपलब्ध नहीं है, उन्हें उनकी सेवा में व्यवधान न मानकर उनकी अनुपस्थिति अवधि का अवैतनिक असाधारण अवकाश (Extra-ordinary leave without pay) सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय
3. उप सचिव एवं निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
6. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राज.
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
11. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईड एवं सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।
12. निजी /रक्षित पत्रावली


शासन उप सचिव